

Done
29/12

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी-स्कीम जयपुर 302005

दूरभाष सं0 0141-2222403, वेबसाईट www.cmar-india.org, ई-मेल: dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : प.2(एसीबी)/सतर्कता/डीएलबी/2019/656-863 दिनांक : 28/12/2020

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय :- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अर्न्तगत जारी की जाने वाली अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों में मनाही के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक : प.2(एसीबी)/सतर्कता /डीएलबी /2019 /2391 - 2584 दिनांक 26.09.2020 एवं विभागीय परिपत्र क्रमांक 260-474 दिनांक 27.02.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र एवं परिपत्र के संदर्भ में लेख है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रकरण नियोक्ता अधिकारी नगरीय निकाय होने की वजह से संबंधित नगरीय निकाय को भेजे जाते है जिन्हें नगरीय निकाय मण्डल में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। बैठक कार्यवाही दौरान प्रकरण पर अभियोजन स्वीकृति या मनाही के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

कतिपय प्रकरणों में यह पाया गया है कि संबंधित आयुक्त/अधिशायी अधिकारी निकाय मण्डल के निर्णय से सहमत नहीं होते है ऐसी स्थिति में संबंधित आयुक्त/अधिशायी अधिकारी अपनी असहमति का स्पष्ट नोट अंकित कर प्रकरण मूल पत्रावली के साथ विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : प.2(एसीबी)/सतर्कता/डीएलबी/2019/864-877 दिनांक : 28/12/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, मुख्य सतर्कता आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
- प्रोग्रामर आईटी प्रकोष्ठ, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- सुरक्षित पत्रावली।

(रक्षा पारीक)

सहायक निदेशक (सतर्कता)